खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 31 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 31 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 169

सायल :–		गैर सायल :–
जरिये सरकार दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	बनाम	रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनूस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली मो.न. 9680918320

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 30.01.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(V) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान् / वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 17.02.2025 को वक्त निरीक्षण सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह व गवाहान की उपस्थिति में मकान का निरीक्षण करने पर पाया की Ghee (ब्राण्ड नोवा) के 500 एम.एल के पैक पैकेट रखे है, विक्रेता ने बताया की यह आम जन को बिक्री वास्ते होना बताया। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर रुबरु प्रपत्र 5ए भरकर दिया एव प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस परे सायल व विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया गया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएसए एक्टे के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

यह है कि सायल दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए Ghee (ब्राण्ड नोवा) 500–500 एम.एल. के 04 पैक पैकेट विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये को वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 1000 / – नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है रसीद माल खरीद असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये Ghee (ब्राण्ड नोवा) के चार भाग करके प्रत्येक चारो पर मौके पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली का कोड क्रमांक आर–2795 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं सायल ने किये। उक्त तैयार लेबल मे से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लीप, कोड क्रमांक आर–2795 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना पैकेट के मूंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमूहर किया, एक सील नमूना पैकेट के मूंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमूहर किया। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना को अपने जाब्तें में लिया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर,सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होनें स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 31 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मौके पर विक्रेता ने खरीद बिल नहीं होना बताया।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील मोहर लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। एक नमूना मय फॉर्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा मे बन्द कर,चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं मुख्य खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एफएसएसए / 2025 / 2620 दिनांक 28.03.2025 एवं जांच रिपोर्ट एल.एस. / 593 / एक्ट / 2025 / 591 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा लिया गया Ghee (ब्राण्ड नोवा) नमूना क्रमांक आर–2795 का नमूना unsafe पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दी गई है।

यह है कि नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की गई है, जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जो कि Sub Standard as defined under section 3(1)(zx) Of Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अतः रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनुस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली ने Ghee (ब्राण्ड नोवा) Sub standard as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act 2006 का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा 51 जुर्माने योग्य अपराध है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रश्नगत खाद्य सामग्री शुद्ध स्थिति में क्रय किया था, अप्रार्थी द्वारा इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि दिनांक 17.02.2025 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रतनसिंह पुत्र श्री नाहरसिंह राजपुत मकान मालिक अरमान पुत्र युनुस खान, वीर दुर्गादास कॉलोनी सुमेरपुर, पाली में ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री 'Ghee' (ब्राण्ड नोवा) नमूना क्रमांक आर–2795 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में 'unsafe' होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने से उक्त नमूना आर–2795 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक व सलंग्न रैफरल फूड लैब मैसुर की जाँच रिपोर्ट संख्या 619F/FSSA/2025 दिनांक 16.07.2025 द्वारा उक्त घी Sub Standard as per section 3 (1) (zx) of food safety and standard act 2006 होना पाया गया है।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'Sub Standard' (अवमानक) खाद्य सामग्री 'Ghee' नमूना क्रमांक आर–2795 का /विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यद्यपि प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि वक्त कार्यवाही दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थी विक्रेता की दुकान पर प्रश्नगत खाद्य सामग्री की कुल कितनी मात्रा विक्रय हेतु रखी थी, जिससे अधिनियम 2006 की धारा 49 के उपबन्धानुसार शास्ति अधिरोपण हेतु विक्रेता के प्राप्त होने वाले संभावित लाभ (Gain) को मापदण्ड का आकलन किया जा सके। किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी विक्रेता द्वारा उक्त खाद्य सामग्री घी ब्राण्ड नोवा के खरीद के कोई बिल अथवा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 31/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनसिंह

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 51 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री 'Ghee' नमूना क्रमांक आर–2795 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 25,000/– रुपये मात्र अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.31/2025/2026/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner